



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244326
CG-DL-E-13032023-244326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1129]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1129]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1176(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5742(अ) तारीख 08.12.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में 561अ के 38/775 कि.मी. से 80/390 कि.मी. तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.12.2022 " को "दै. लोकमत (मराठी)" और "इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561अ के 38/775 कि.मी. से 80/390 कि.मी. तक (अहमदनगर-करमाला/टेंभुर्णी (एन.के.टी.) सड़क सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अहमदनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कर्जत				
	गांव का नाम: बभलगाओं खालसा				
1	217	निजी	कृषी	0.2967	शहाजी गंगाधर लबडे, शिवाजी गंगाधर लबडे, जगन्नाथ बयाजी लबडे, अनुसया दगडू लबडे, इतर अधिकार (२१७)
	गांव का नाम: मिरजगाव				
2	398	निजी(३९८/४ ब पैकी)	कृषी	0.0079	अनंता बाबुराव कोल्हे, माणिक बाबू कोल्हे, ज्ञानदेव बाबू कोल्हे, देविदास बाबू कोल्हे इतर अधिकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिरजगाव, वि.का.से. स. सो. ली. मिरजगाव (३९८/४ ब पैकी)
			कुल	0.3046	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1176(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5742(E) dated 08.12.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 561A, in the stretch of land from Km. 38/775 to Km 80/390 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) Road Section) in District of Ahmednagar in State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daliy Lokmat (Marathi)” and “Indian Express (English)” both dated 20.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 38/775 to Km 80/390 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) Road Section) of the National highway No. 561A in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Karjat				
	Village: Babhulgaon khalsa				
1	217	Private	Agriculture	0.2967	Shahaji Gangadhar Labade, Shivaji Gangadhar Labade, Jagannath Bayaji Labade, Anusaya Dagdu Labade, Other Rights 217
	Village: Mirajgaon				
2	398	Private(398/4B P)	Agriculture	0.0079	Ananta Baburao Kolhe, Manik Babu Kolhe, Gyandev Babu Kolhe, Devidas Babu Kolhe Other Rights Bank of Maharashtra Mirajgaon, V.K.S. S. So. Lee. Mirajgaon 398/4B Part
			TOTAL	0.3046	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.